रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2008/माघ 10, 1929
No. 127] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2008/MAGHA 10, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2008

का.आ. 213(अ).—यत: दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2007 (2007 का 43) (यहाँ इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 3 के निबन्धनों के अनुसार अतिक्रमण अथवा अप्राधिकृत विकास की श्रेणियों के संबंध में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी सभी नोटिस, दिसम्बर, 2008 के 31वें दिन तक के लिए निलम्बित माने जाएंगे;

और यत: उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के उपबंधों के निबन्धनों के अनुसार अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में उल्लिखित अतिक्रमण अथवा अप्राधिकृत विकास के खिलाफ दाण्डिक कार्रवाई दिसम्बर, 2008 के 31वें दिन तक के लिए निलम्बित रखी जाएगी;

अत:, अब, दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2007 (2007 का 43) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों को एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्देश देती है :

निर्देश

1. (i) उक्त अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित अतिक्रमण या अनधिकृत विकास के संबंध में अनधिकृत कालोनियों, गांव आबादी क्षेत्र तथा इसके विस्तार क्षेत्र को छोड़कर, न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सीलिंग कार्य बंद करने सहित जनवरी, 2006 के पहले दिन की यथास्थिति बनाए रखने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

(ii) न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी सीलिंग कार्य बन्द करने सहित अनधिकृत कालोनियों, गांव आबादी क्षेत्र तथा इसके विस्तार क्षेत्र जो 31 मार्च, 2002 को 8 फरवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार मौजूद थे, की स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथास्थिति बनाई रखी जाएगी।

2. अधिनियम के खण्ड 3 में उल्लिखित अतिक्रमण या अप्राधिकृत विकास के विरुद्ध प्रारंभिक कार्रवाई के लिए किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी सभी सूचनाएं निलंबित होंगी और 31 दिसम्बर, 2008 तक कोई भी दांडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

3. दिसम्बर, 2007 के 5वें दिन से 31 दिसम्बर, 2008 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 4 में यथानिर्दिष्ट अप्राधिकृत विकास की श्रेणियों के संबंध में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा संगत विधियों के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी और की गई कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट आगामी माह के प्रथम सप्ताह के अंत तक सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजी जाएगी।

[फा. सं. के-12016/2/2006-डीडीआईबी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2008

S.O. 213(E).— Whereas in terms of Section 3 of The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2007 (43 of 2007) (hereafter referred to as

the said Act), all notices issued by the local authorities in respect of the categories of encroachment or unauthorized development mentioned therein shall be deemed to have been suspended till the 31st day of December, 2008;

And whereas in terms of the provisions of sub-section (3) of Section 3 of the said Act, punitive action, against encroachment or unauthorized development referred to in sub-section (1) of Section 3 of the Act shall be suspended till the 31st day of December, 2008;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 5 of the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2007 (43 of 2007), the Central Government hereby issues the following directions to the local authorities to give effect to the provisions of the said Act, namely :

DIRECTIONS

(1) (i) Notwithstanding any judgement, decree, or order of Court, steps shall be taken by the local authority, including desealing, to maintain status quo as on 1st day of January, 2006 in respect of encroachment or unauthorized development referred to in Section 3 of the said Act except in respect of unauthorized colonies, village abadi area and its extension.

(ii) Notwithstanding any judgement, decree, or order of Court, steps shall be taken by the local authority, including desealing, to maintain status quo, in the unauthorized colonies, village abadi area and its extension, which existed on the 31st day of March, 2002, as on the 8th day of February, 2007.

(2) All notices issued by any local authority for initiating action against encroachment or unauthorised development referred to in Section 3 of the Act shall be suspended and no punitive action shall be taken till the 31st day of December, 2008.

(3) During the period up to 31st December, 2008 w.e.f. 5th day of December, 2007, action as per relevant laws shall continue to be taken by the local authorities in respect of the categories of encroachment or unauthorized development, as specified in Section 4 of the said Act and a monthly report of the action taken shall be sent to the Secretary, Ministry of Urban Development, New Delhi by the end of the first week of the succeeding month.

[F. No. K-12016/2/2006-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.